सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 15.03.2024

टप्पेबाजी करने वाली 01 विधि विरूद्ध बालिका, 02 अभियुक्ता एवं 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से चोरी किये गये आभूषण किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.03.2024 को वादिनी ज्योति सिंह पत्नी राजकुमार निवासी अजीत नगर थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीरी सूचना दी गयी कि जब वह शास्त्री चौराहे से कचौरा के लिये ऑटो में बैठकर जा रही थी इसी दौरान रास्ते में ऑटो में बैठे 01 व्यक्ति, 02 महिलाओं एवं एक बच्ची द्वारा उसके पर्श से 01 जोड़ी कान के ब्रजवाला, 02 अँगूठी तथा 01 जोड़ी पायल चोरी कर लिया, **सूचना पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 73/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे दिनांक 15.03.2024 को थाना कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **02 अभियुक्ता व 01 विधि विरूद्ध बालिका को बस स्टैण्ड के पास से एवं अभियुक्त संजीव वर्मा उर्फ कुक्कू को रेलवे स्टेशन जीआपी थाने के पास से समय 09.30 बजे गिरफ्तार** किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तगणों की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 01 जोड़ी सोने की ब्रजवाला, 02 सोने की अँगूठी, 01 जोड़ी चाँदी की पायल, 03 पर्स एवं 3150/- रूपये नकद बरामद किये गये जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया कि यह आभूषण उन्होंने मिलकर दिनांक 07.03.2024 को ऑटो में सवार महिला से चोरी किये थे।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 73/2024 धारा 379 भादवि में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. संजीव वर्मा उर्फ कुक्कू पुत्र लीला सिंह वर्मा निवासी सुभाषरोड सब्जी मण्डी थाना कोतवाली खुर्जा जनपद बुलन्दशहर **उम्र 41 वर्ष**।
2. राजकुमारी पत्नी प्रदीप निवासी म0नं0 405 मोहल्ला किलामेवई थाना कोतवाली खुर्जा जनपद बुलन्दशहर उम्र 35 वर्ष।
3. रेशमा पुत्री सुघर सिंह निवासी मोहल्ला आजाद नगर थाना टिकसाना जनपद भरतपुर राजस्थान उम्र 20 वर्ष।
4. 01 विधि विरूद्ध बालिका।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 73/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 जोड़ी सोने की ब्रजवाला
2. 02 सोने की अँगूठी
3. 01 जोड़ी चाँदी की पायल
4. 03 पर्स
5. 3150/- रूपये नकद।

पुलिस टीमः- निरीक्षक श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना कोतवाली, उ0नि0 सौरभ सिंह, उ0नि0 अंशु मिश्रा, हे0का0 शमशुल हसन, म0का0 मनीषा तिवारी, म0का0 ललिता यादव, का0 निखिल कुमार, का निवेश कुमार।